

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ.()/विविध/उवस /2021/637
निमित्त

दिनांक : 04-02-2021

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय : Laying of underground optical Fiber Cable Along the NH-21 (old NH-11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena- Bharatpur

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 339 दिनांक 21.01.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में निम्नांकित कर्मियों की पूर्ति कर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|-------------|--|---|
| 1 | चैक लिस्ट के पार्ट-2 की पूर्ति नहीं की गई है। | चैक लिस्ट के पार्ट-2 की पूर्ति कर संलग्न है। |
| 2 | प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाही हेतु यूजर एजेंसी द्वारा अधिकृत श्री गिरीश जैन मण्डल अभियंता के संबंध में जारी प्राधिकृत पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव की मूल प्रति में संलग्न नहीं है। | प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाही हेतु यूजर एजेंसी द्वारा अधिकृत श्री गिरीश जैन मण्डल अभियंता के संबंध में जारी प्राधिकृत पत्र की मूल प्रति वन मण्डल दौसा में जमा प्रस्ताव के साथ संलग्न करवाना बताया गया है। |
| 3 | एरिया केलकुलेशन सीट में वन क्षेत्र 62720 मी. है जबकि डीजीपीएस मैप में कुल वन क्षेत्र 62714.05 मी. अंकित है डीजीपीएस मैप संशोधित किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार सैंगमेट्स की लम्बाई में भी भिन्नता है। | डीजीपीएस मैप संशोधित संलग्न है। |
| 4 | Statements showing details में forest entry व exit point एवं DGPS MAP व BAR CHART के exit व entry points में भिन्नता है। | यूजर एजेंसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है। अतः संशोधित संलग्न है। |
| 5 | हार्डकॉपी में संलग्न पार्ट-2 के बिन्दु संख्या 1 से 6की पूर्ति संलग्न नहीं है। | हार्डकॉपी में संलग्न पार्ट-2 के बिन्दु संख्या 1 से 6की पूर्ति कर संलग्न है। |
| 6 | पार्ट-2 के बिन्दु संख्या 7 (VI) में density of vegetation को 0 प्रतिशत अंकित किया गया है, जबकि एच.-21 को मध्यनजर रखते हुए उक्त बिन्दु का पुनरीक्षण करें। | यूजर एजेंसी ने मौके पर ऑफ्टिफायर केवल रूट में रेखांकित करवाया गया है, प्रस्तावित रूट पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | <p>प्रस्ताव में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा 55.840 किमी. की स्वीकृति प्रदान कि गई है, जबकि प्रस्ताव में 62.780 किमी. फोरेस्ट की स्वीकृति चाही गई व 2.550 किमी गैर वनभूमि भी सम्मिलित है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा 118.00 चेनेज से 62.580 चेनेज तक कि स्वीकृति दी गई है। जबकि यूजर एजेंसी द्वारा चेनेज 0 से 62.780 तक की स्वीकृति चाही गई हैं। उप वन संरक्षक, भरतपुर स्थिति स्पष्ट करें।</p> | <p>राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन 5 अगस्त 1978 के अनुसार पुराना एनएच 11 भी Row में शामिल था। नोटिफिकेशन की छाया प्रति संलग्न है।</p> |
| 8 | <p>यूजर एजेंसी द्वारा FRA CIRTIFICATE के संबंध में प्रष्ठ संख्या 31 पर अडरटेकिंग्स प्रस्तुत की गई है, कि जल्द ही उनके द्वारा FRA CIRTIFICATE SUBMIT कर दिया जायेगा, FRA CIRTIFICATE के संबंध में जारी वर्तमान कार्यवाही से अवगत करावे।</p> | <p>FRA हेतु यूजर एजेंसी द्वारा जिला भरतपुर को पत्र NO:-NTP/DETP/ALW/HALENA-BTP/2018-19/ DATED: 18-01-2021 को FRA हेतु लिखा गया है। छाया प्रति संलग्न है।</p> |

Mohit

उप वन संरक्षक
 १/२ भरतपुर ४१